



फ.11-17/2003- के.वि.सं.(प्रशा.1) | 12-30

दिनांक: 23.11.2020

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी संभागीय कार्यालय

विषय: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत निवारण समिति के गठन के संबंध में।

महोदया/महोदय,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबन्धित कार्मिकों की शिकायतों पर समुचित कार्रवाई करने और उनका समय पर निस्तारण करने के उद्देश्य से तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) में निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों की एक समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-


- | | |
|----------------------------------------------------|----------|
| 1. सुश्री नीलम, उपायुक्त (प्रशा.) | - संयोजक |
| 2. श्री आर.के. पथिक, सहायक आयुक्त (प्रशा.) | - सदस्य |
| 3. श्री भोपाल सिंह, सहायक अनुभाग अधिकारी (प्रशा.1) | - सदस्य |

इस समिति के कार्य/कर्तव्य निम्नवत होंगे:

इस समिति द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा कोड के अनुच्छेद 159 के निहित कर्तव्यों एवं कार्यों से संबन्धित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

इस पत्र को अपने कार्यालय के सभी कार्मिकों और अपने अधीनस्थ सभी केन्द्रीय विद्यालयों में इन निर्देशों के साथ परिचालित करें कि इसकी जानकारी अपने कार्यालय/विद्यालय के कार्मिकों के ध्यान में लाई जाए।

इसे आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(गौतम बनर्जी)

सहायक आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव (यूटी), शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. संयोजक समिति और संबन्धित सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. आयुक्त, के.वि.सं. के निजी सचिव।
4. अपर आयुक्त (शै./प्रशा.), के.वि.सं. के निजी सचिव।
5. सयुक्त आयुक्त (कार्मिक) और मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी के.वि.सं. (मु.), नई दिल्ली।
6. के.वि.सं.(मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
7. निदेशक, के.वि.सं. समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
8. प्राचार्य, के.वि. मॉस्को/काठमांडू/तेहरान।
9. उपायुक्त ईडीपी को के.वि.सं. कि वेबसाइट पर उपलोड करने के लिए।